चुनाव कानून के उद्देश्यों के लिए निवास निर्धारित करने के नियम

ब्रिटिश कोलंबिया में प्रांतीय वोटर के तौर पर रजिस्टर करने के लिए जरूरी है कि आप बी.सी. में छह महीने से रह रहे हों। *चुनाव कानून* यह निर्धारित करता है कि वोटिंग के लिए किस पते का प्रयोग किया जाए।

निवास स्थान क्या है?

आपका निवास स्थान आपका घर है। यह वह जगह है जहां पर आप रहते है और बाहर रहने के बाद जहां पर आप वापिस लौटते हैं। *चुनाव कानून* के अंतर्गत एक समय पर आपका केवल एक निवास स्थान हो सकता है और आपका पता तब तक नहीं बदलता जब तक आपका कोई नया निवास स्थान न हो।

आपके निवास स्थान का पता आपके घर का पता, भौतिक पता या नागरिक पता भी कहलाता है। आप अपने कारोबारी पते या पोस्टल पते को अपने निवास स्थान के तौर पर प्रयोग नहीं कर सकते।

यदि आप अपनी डाक आपके रहने के स्थान की बजाए किसी और पते पर प्राप्त करते हैं, तो आपको अपना यह डाक पता अलग से देना होगा।

अस्थायी गैरहाज़री

यदि आप यात्रा, स्कूल, कारोबार या फौजी सेवा के लिए अस्थायी तौर पर घर छोड़ कर जाते हैं या यदि आप अपने पति, पत्नी, बच्चे या माता-पिता के साथ बी.सी. के बाहर उनकी नियुक्ति वाले स्थान पर जाते हैं, तब भी आप यहां के वासी माने जाते हैं।

छात्र

आपका निवास स्थान या तो वह स्थान हो सकता है जहां आप स्कूल में रहते हैं या आपका स्थायी पता (जैसे, आपके माता-पिता का पता)।

सुधार-गृहों में रहने वाले लोग

आप अपना पुराना पता या अपने पति/पत्नी, संबंधी, आश्रय-स्थल या सामाजिक सेवा एजंसी का पता प्रयोग कर सकते हैं। आप सुधार गृह का पता अपने निवास स्थान के तौर पर प्रयोग नहीं कर सकते।

रहने का कोई निश्चित स्थान नहीं है

यदि आप बेघरी का सामना कर रहे हैं, तो आप अपना सबसे ताजा स्थायी पता, उस स्थान का पता जहां आप अस्थायी तौर पर इस समय रह रहे हैं या उस आश्रय-स्थल, होस्टल या ऐसी ही किसी अन्य संस्था का पता दे सकते हैं जहां पर आपको खाना, रहने की जगह या सामाजिक सेवाएं मिल रही हैं।